2026 का विधेयक संख्यांक 154

[दि माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) अमेडमेंट बिल, 2026 का हिन्दी पाठ]

खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2026 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

धारा 2 का संशोधन ।

2. खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में, "खानों" शब्द के पश्चात् "और खनिज धारक भू-क्षेत्रों" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे । 1957 का 67

धारा 3 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 में, खंड (कघ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(कघक) "खनिज धारक भू-क्षेत्र" से धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन विहित प्राचलों के अनुसार खनिज तत्व रखने वाली कोई भूमि अभिप्रेत है ;"।

नई धारा 9घ का अंत:स्थापन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 9ग के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

कर, उपकर आदि के अधिरोपण पर कतिपय शर्तें या निर्बंधन ।

"9घ. (1) ऐसी शर्तों या निर्बंधनों के अनुसार, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं, के सिवाय, राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित पर कोई कर, उपकर या ऐसा अन्य उद्ग्रहण (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो) अधिरोपित नहीं किया जाएगा—

(क) खनिज अधिकार ; या

(ख) खनिज धारक भू-क्षेत्र, या तो खनिज की मात्रा या खनिज के मूल्य या संदेय स्वामिस्व पर या अन्यथा आधारित हों ।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि, या किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) खनिज अधिकारों ; या

(ख) खनिज धारक भू-क्षेत्रों, या तो खनिज की मात्रा या खनिज के मूल्य या संदेय स्वामिस्व पर या अन्यथा आधारित हों,

पर ऐसे किसी कर, उपकर या अन्य उद्ग्रहण का अधिरोपण, जो खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2026 के प्रारंभ के पूर्व राज्य सरकार में जमा नहीं किया जाता है या इसके द्वारा वसूली नहीं किया जाता है, सभी तात्विक समयों पर अविधिमान्य समझा जाएगा :

परंतु ऐसे प्रारंभ के पूर्व राज्य सरकार में पहले से ही जमा या उसके द्वारा वसूल किया गया खनिज अधिकारों या खनिज धारक भू-क्षेत्रों पर ऐसा कोई कर, उपकर या अन्य उद्ग्रहण प्रतिदाय के लिए दायी नहीं होगा।"।

धारा 13 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) में, खंड (न) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(नक) धारा 9घ की उपधारा (1) के अधीन कर, उपकर या ऐसे अन्य उद्ग्रहण के अधिरोपण पर शर्तें या निर्बंधन ;"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

खनिज एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन का गठन करते हैं जो महान भू-राजनीतिक महत्व के हैं और अवसंरचना (डिजिटल अवसंरचना सहित), विनिर्माण, ऊर्जा सुरक्षा और देश के समग्र आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। देश भर में खनिजों का सतत और समान विकास जनहित को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसलिए, व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए, संघ ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) की धारा 2 के अधीन खानों के विनियमन और खनिजों के विकास को अपने नियंत्रण में ले लिया है।

2. खनिज संसाधन सीमित हैं और कुछ राज्यों में केंद्रित हैं, और उनके निष्कर्षण और प्रबंधन को देश के आर्थिक विकास की समग्र रणनीति में सतत, न्यायसंगत और एकीकृत विकास के दीर्घकालिक राष्ट्रीय लक्ष्यों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। खनिजों पर राजकोषीय अधिरोपण में कोई भी क्षेत्रीय असमानता सार्वजनिक हित को प्रभावित करती है। भारी करों और उद्ग्रहणों को असंतुलित रूप से अधिरोपित करने से उद्योग को स्थानीय आपूर्ति लाइनों से पूरी तरह से बाईपास करने के लिए तत्पर किया जाएगा, जिससे बाजारों का इष्टतम से कम विकास होगा, परिवहन लागत में वृद्धि होगी और इसके परिणामस्वरूप प्रदूषण का भार बढ़ेगा। पर्याप्त स्थानीय खनिज संसाधन होने के बावजूद खनिजों के आयात में वृद्धि का भी खतरा है क्योंकि घरेलू खनिज आपूर्ति महंगी हो जाती है। उचित सीमाओं के अभाव में राज्य सरकारों द्वारा खनिज अधिकारों और खनिज धारक भू-क्षेत्रों पर करों या अन्य उद्ग्रहणों के असमान अधिरोपण के परिणामस्वरूप विभिन्न मुद्दे उत्पन्न हुए हैं, जैसे—

(i) इस क्षेत्र में भारी कर का बोझ;

(ii) खनन कार्य आरंभ होने के बाद भी कर, उपकर और अन्य उद्ग्रहणों का अप्रत्याशित रूप से लागू होना ;

(iii) खनिजों के उत्पादन या प्रेषण पर कई कर, उपकर और अन्य उद्ग्रहण ;

(iv) राज्यों के बीच कर और अन्य उद्ग्रहणों की दरों में एकरूपता न होना ;

(v) भूतलक्षी प्रभाव से कर, उपकर या उद्ग्रहण का अधिरोपण ।

3. अत्यधिक राजकोषीय बोझ खनन कार्यों को व्यावसायिक रूप से अव्यवहार्य बना देता है, खनिज निष्कर्षण को हतोत्साहित करता है, खनिज उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और कुछ मामलों में, खदानों को बंद कर देता है। किसी भी अतिरिक्त और अप्रत्याशित असंतुलित लागत से छोटे और मध्यम स्तर के खनन प्रचालकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कई और असंगत कर खनिज उद्योग के विकास में बाधा डालते हैं और आर्थिक विकास को धीमा कर देते हैं जिसके परिणामस्वरूप क्रमिक कर प्रभाव और उच्च अनुपालन लागत होती है। निष्कर्षण चरण में या अन्यथा अत्यधिक कर का बोझ अंततः वस्तुओं और सेवाओं की लागत में वृद्धि कर सकता है और परिणामस्वरूप, देश में आम नागरिक के लिए रहने की लागत में वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा, करों को भूतलक्षी रूप से अधिरोपित करने से विधिक अनिश्चितता होगी और निवेशकों का विश्वास कम हो जाएगा।

4. खनिज निष्कर्षण पर अधिरोपित किसी भी राजकोषीय बोझ को देश भर में एकीकृत और संतुलित राजकोषीय ढांचे द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। विभिन्न उद्ग्रहणों का संचयी आपतन खनन कार्यों के आर्थिक मूल्य और लाभप्रदता के असमानुपाती नहीं होना चाहिए। खनन पर लागू राजकोषीय व्यवस्था की निश्चितता, स्थिरता और पूर्वानुमेयता सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है। संघ के पास राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधनों के न्यासी के रूप में कर्तव्य के साथ-साथ यह शक्ति है कि वह, अन्य बातों के साथ-साथ, खनिज संसाधन जनित विकास के स्थानीय क्षेत्रों का सृजन करने के बजाय पूरे देश में सामंजस्यपूर्ण खनिज विकास (और परिणामी आर्थिक विकास) सुनिश्चित करके राष्ट्रीय हित को अग्रसर करे।

5. खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित का उपबंध करता है, अर्थात्:—

(i) संघ एमएमडीआर अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा विहित प्राचलों के अनुसार खनिज सामग्री वाले खनिज धारक भू-क्षेत्रों के विनियमन को अपने नियंत्रण में लेगा। यह विद्यमान उपबंध के अतिरिक्त है जो खानों के विनियमन और खनिजों के विकास पर संघ के नियंत्रण की घोषणा करता है;

(ii) एमएमडीआर अधिनियम में एक नई धारा 9घ को अंत:स्थापित करना, जिसमें यह उपबंध है कि ऐसी शर्तों या निर्बंधनों के अनुसार, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं, के सिवाय, राज्य सरकार द्वारा खनिज अधिकार या खनिज धारक भू-क्षेत्र, या तो खनिज की मात्रा, खनिज के मूल्य या संदेय स्वामिस्व पर या अन्यथा आधारित हों, पर कोई कर, उपकर या ऐसा अन्य उद्ग्रहण (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो) अधिरोपित नहीं किया जाएगा । यह और उपबंध करता है कि ऐसे किसी कर, उपकर या अन्य उद्ग्रहण का अधिरोपण, जो खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2026 के प्रारंभ के पूर्व राज्य सरकार में जमा नहीं किया जाता है या इसके द्वारा वसूली नहीं किया जाता है, सभी तात्विक समयों पर अविधिमान्य समझा जाएगा । तथापि, ऐसे प्रारंभ के पूर्व राज्य सरकार में पहले से ही जमा या उसके द्वारा वसूल किया गया खनिज अधिकारों या खनिज धारक भू-क्षेत्रों पर ऐसा कोई कर, उपकर या अन्य उद्ग्रहण प्रतिदाय के लिए दायी नहीं होगा ।

6. उपरोक्त संशोधन खनिज क्षेत्र में राजकोषीय व्यवस्था में निश्चितता, स्थिरता और पूर्वानुमान प्रदान करने का प्रयास करते हैं, जिससे राष्ट्रीय आर्थिक विकास को गति मिलती है जो आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों को सुकर बनाएगी और अंततः विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करेगी।

7. विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए है।

नई दिल्ली ;
7 अगस्त, 2026

जी. किशन रेड्डी

वित्तीय ज्ञापन

खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026, यदि अधिनियमित किया जाता है तो भारत की संचित निधि से आवर्ती या अनावर्ती प्रकृति का कोई व्यय अंतर्वलित नहीं होगा ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 5, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 13 का संशोधन करने के लिए है, जिससे केंद्रीय सरकार को उन शर्तों या निर्बंधनों को विहित करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त किया जा सके, जिनके अधीन रहते हुए राज्य सरकार खनिज अधिकारों पर या खनिजधारक भू-क्षेत्रों पर कर, उपकर या ऐसे अन्य उद्ग्रहण अधिरोपित कर सकेगी ।

2. वे विषय, जिनके संबंध में पूर्वोक्त उपबंध के अधीन नियम बनाए जा सकेंगे, ब्यौरे के विषय हैं और उनके लिए स्वयं विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । इसलिए, विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

उपाबंध

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम संख्यांक 67) से उद्धरण

* * * * * *

संघ नियंत्रण की समीचीनता की घोषणा।

2. एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि खानों का विनियमन और खनिजों का विकास इसमें इसके पश्चात् उपबंधित विस्तार तक संघ अपने नियंत्रण में ले ले ।

परिभाषाएं।

3. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

* * * * * *

(कक) "खनिजों" के अंतर्गत खनिज तेलों के सिवाय सभी खनिज आते हैं ;]

* * * * * *

पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियों और खनन पट्टों का अनुदान विनियमित करने के लिए नियम

खनिजों के बारे में केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

13. (1) * * * * *

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सब विषयों के लिए या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात् :—

* * * * * *

(न) धारा 8क की उपधारा (7क) के अधीन खनिज के विक्रय की रीति ;

* * * * * *